निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 37 / 2025
दायरा दिनांकः–26.05.2025
निर्णय दिनांकः– 16.09.2025

उनवान

गीताबाई आयु 36 वर्ष पत्नी राम्प्रकाश जाति बैरवा निवासी ग्राम बिसलाई तहसील छीपाबडौद जिला बारां (राज०) ....प्रार्थिया

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां (राज0) ....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट

निर्णय दिनांकः– 16.09.2025

अभिभाषक उपस्थित –1. श्री रामनिवास वैष्णव – प्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 136 एल. आर. एक्ट विरूद्ध अप्रार्थी के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थीया के शामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि वाके माल पटना तहसील छबड़ा में भूमि खाता संख्या 3 की खसरा नंबर 13 रकबा 0.0379 है०, खसरा नंबर 241 रकबा 0.1265 है०, खसरा नंबर 379 / 1 रकबा 0.1012 है० कुल किता रकबा 0.2656 है० स्थित है। प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकार्ड में राजस्व कर्मचारियों की गफलत एवं लापरवाही के कारण गलती से भूलवश जमाबंदी एवं खाते में नाम गीता दर्ज हो चुका है। जबकि प्रार्थीया का वास्तविक नाम गीताबाई है, जो आधार कार्ड, बैंक खाते एवं पेनकार्ड आयकर विभाग व राशनकार्ड एवं अन्य सरकारी विभागों में दर्ज है एवं गीताबाई ही प्रार्थीया का वास्तविक नाम है। दिनांक 14.05.2025 को प्रार्थीया माननीय तहसीलदार साहब छबडा के पास उक्त नाम सही दर्ज करवाने हेतु गई तो वहां तहसीलदार साहब ने कहा कि तुम नियमानुसार प्रार्थना पत्र दायर कर नाम सही करवाओ। यदि प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्तीकरण कर सही दर्ज गीता के स्थान पर गीताबाई नहीं किया तो प्रार्थीया को काफी परेशानी होगी। जिसकी पूर्ति अर्थ से नहीं की जा सकेगी। प्रार्थीया को अनैकानेक वाद विवादों में उलझना पड़ेगा। प्रार्थीया के शामलाती खाते व कब्जे काश्त की भूमि वाके माल पटना तहसील छबड़ा में भूमि खाता संख्या 3 की खसरा नंबर 13 रकबा 0.0379 है, खसरा नंबर 241 रकबा 0.1265 है०, खसरा नंबर 379 / 1 रकबा 0.1012 है० कुल किता रकबा 0.2656 है० की जमाबंदी एवं राजस्व रकार्ड में प्रार्थीया का नाम गीता के स्थान पर प्रार्थीया

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा जिला बाराँ (राज.)

के दस्तावेज आधार कार्ड, बैंक खाते एवं पेनकार्ड व राशनकार्ड के अनुसार इन्द्राज दुरूस्ती किया जाकर सही नाम गीताबाई राजस्व रिकार्ड में दर्ज अमल दरामद किया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। पैरोकार सरकार की ओर से रिपोर्ट प्राप्त जो शा.मि0 है प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम पटना तहसील छबडा सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 3 पेश की गई। फोटो प्रति जनआधार कार्ड, फोटो प्रति आधार कार्ड, फोटो प्रति राशन कार्ड, फोटो प्रति बैक डायरी पेश किया गया।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थीया के शामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि वाके माल पटना तहसील छबड़ा में भूमि खाता संख्या 3 की खसरा नंबर 13 रकबा 0.0379 है०, खसरा नंबर 241 रकबा 0.1265 है०, खसरा नंबर 379/1 रकबा 0.1012 है० कुल किता रकबा 0.2656 है० स्थित है। प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकार्ड में राजस्व कर्मचारियों की गफलत एवं लापरवाही के कारण गलती से भूलवश जमाबंदी एवं खाते में नाम गीता दर्ज हो चुका है। जबकि प्रार्थीया का वास्तविक नाम गीताबाई है, जो आधार कार्ड, बैंक खाते एवं पेनकार्ड आयकर विभाग व राशनकार्ड एवं अन्य सरकारी विभागों में दर्ज है एवं गीताबाई ही प्रार्थीया का वास्तविक नाम है। यदि प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्तीकरण कर सही दर्ज गीता के स्थान पर गीताबाई नहीं किया तो प्रार्थीया को काफी परेशानी होगी। प्रार्थीया को अनैकानेक वाद विवादों में उलझना पड़ेगा। प्रार्थीया का नाम गीता के स्थान पर प्रार्थीया के दस्तावेज आधार कार्ड, बैंक खाते एवं पेनकार्ड व राशनकार्ड के अनुसार इन्द्राज दुरूस्ती किया जाकर सही नाम गीताबाई राजस्व रिकार्ड में दर्ज अमल दरामद किया जावे।

इस सम्बन्ध में तहसीलदार छबडा से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार छबडा ने रिपोर्ट में बताया कि ग्राम पटना की जमाबन्दी संवत 2079 की खाता सं. 3 के खसरा नंबर 13 रकबा 0.0379 है०, खसरा नंबर 241 रकबा 0.1265 है०, खसरा नंबर 379/1 रकबा 0.1012 है० किता 3 रकबा 0.2656 है० में गीता पुत्री मदनलाल हिस्सा 1/11 जाति बैरवा सा. देह (शेष खाता बदस्तुर) दर्ज रिकॉर्ड है। मौके पर उपस्थित ग्रामवासियान से जानकारी करने पर ग्रामवासियान ने बताया कि गीता पुत्री मदनलाल व गीताबाई पुत्री मदनलाल दोनो नाम एक ही महिला के है एवं उक्त दोनो नामो से जाना व पुकारा जाता है। ग्रामवासियान ने बताया कि सही नाम गीताबाई पुत्री मदनलाल है। अन्य दस्तावेज आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि मे भी गीताबाई दर्ज है।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम पटना तहसील छबडा सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 3 में गीता पुत्री मदनलाल हिस्सा 1/11 जाति बेरवा सा. देह खातेदार दर्ज है। फोटो प्रति जनआधार कार्ड मे गीता बाई फोटो प्रति आधार कार्ड मे गीता बाई, परिवार राशन कार्ड में गीता बाई दर्ज है। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से यह साबित होता है कि प्रार्थीया का नाम अन्य दस्तावेजों में गीता बाई है तथा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में गीता दर्ज है। तहसीलदार छबडा ने भी प्रार्थी का नाम गीता पुत्री मदनलाल व गीताबाई पुत्री मदनलाल दोनो ही एक ही महिला के नाम होना बताया है। प्रार्थीया का

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा जिला बाराँ (राज.)

र्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीया का नाम गीता के स्थान पर गीता बाई दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम पटना तहसील छबडा के खाता संख्या 3 में गीता पुत्री मदनलाल के स्थान पर गीता बाई पुत्री मदनलाल दर्ज करने के आदेश तहसीलदार छबडा को दिये जातें है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)